न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़ हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए।

हीरालाल बनाम श्रीया

प्रार्थना पत्र संख्या– 02 / 70 / 2024

26.03.2024

आज यह प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट का प्रार्थी द्वारा जरिये वकील प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आराजी खसरा नम्बर 335, 336, 337 वाके ग्राम नाथलवाडा तहसील राजगढ जिला अलवर में स्थित है। उक्त उक्त विवादित आराजी का गलत नक्शा ट्रेस क आधार पर प्रार्थी का जबरन बेदखल करके कब्जा नही करं व दीगर लोगो का रहन बय हिबा आदि न करें प्रार्थी क कार्यकाश्त में व उपयोग उपभोग मे किसी प्रकार की रूकावट मजाहमत न करें। अन्त में विवादित आराजी के मौके व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने बाबत अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाने का निवेदन किया। साथ में शपथ पत्र पेश है।

प्रार्थना पत्र के संबंध में वकील प्रार्थी ने कथन किया कि आराजी खसरा नम्बर 335 वाके ग्राम नाथलवाडा का बन्दोबस्त सम्वत 2046 मे लागू हुआ है। जिसका खसरा संख्या 335 रकबा 20 ऐयर दर्ज रिकार्ड कर दिया है जिसका साबिक खसरा 106 रकबा 19 बिस्वा दर्ज था। जो प्रार्थी की खातेदारी रिकार्ड दर्ज है। हाल आराजी खसरा संख्या प्रतिवादी संख्या 01 श्रीया की खातेदारी आराजी 336, 337 बन्दोबस्त विभाग ने बनाये जिसके साबिक खसरा संख्या 107 का भाग है। अतः अप्रार्थीगण को विवादित आराजी के राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखे जाने बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे।

प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली पर प्रस्तुंत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया एवं बहस वकील प्रार्थी पर मनन किया। अतः पृथम दृष्टया प्रार्थना पत्र में अप्राथीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः आगामी तारीख पेशी तक अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है कि *विवादित आराजी खसरा नम्बर 335, 336, 337 वाके ग्राम नाथलवाडा तहसील राजगढ जिला अलवर के राजस्व रिकार्ड व मौके की यथास्थिती बनाये रखें।* अप्रार्थीगण जरिये रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब होकर पेश हो। एवं प्रार्थीगण रजिस्ट्रर्ड रसीद 3 दिवस में हाजा न्यायालय में पेश करे। इस संबध में अप्रार्थीगण कोई आक्षेप हो तो दिनांक 29.04.2024 को उपस्थित न्यायालय होकर पेश करें।

उपखण्ड अधिकारी राजगढ
जिला–अलवर

तारीख हुक्म	
	12/01/26 पत्रावली पेश। वकु. उप. मूलवाद के साथ प्रा. पत्र 212 में श्री एड. श्री लालाराम मीणा उप.। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में लम्बे समय से जवाब में चली आ रही है। वकील अप्रार्थी ने जवाब नहीं देने के कारण जवाब अप्रार्थी बन्द किया जाता है। बाहस वकु. की सुनी गई बाहस वकील प्रार्थी/अप्रार्थी पर गहन अवलोकन व मनन किया गया। पत्रावली की गहनता से अवलोकन पर पाया गया की आराजी ख. सं. 335, 336, 337 पर हाजा न्यायालय के पूर्व आदेश दि. 26/3/14 को स्थगन आदेश जारी किया गया। मूलवाद के साथ प्रा. पत्र 06/217 को पूर्व में स्वीकार किया गया है। लेकिन हाजा न्यायालय के एक अन्य प्रा. पत्र में धारा 251क के तहत रास्ते को स्वीकार किया गया है जिसके आराजी खसरा सं.- 1398/336/0.0176 किस्म गै. मु. रास्ता दर्ज रिकार्ड हुआ। प्रा. पत्र 06/217 स्वीकार होने के बाद आराजी खसरा सं. 1398/336/0.0176 पर कोई स्थगन आदेश हाजा न्यायालय के द्वारा जारी नहीं किया गया। इसलिए प्रा. पत्र 06/217 स्वीकार होने के कारण

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

आराजी खसरा संख्या 336 पर स्थगन आदेश प्रभावी नही रहा। अन्त मे उपरोक्त विवेचन के आधार पर खसरा सं. 335, 336, 337 पर स्थगन उचित प्रतीत नही होता है। ना ही आराजी खसरा स. 1398/336/0.0176 हे० किस्म गैर मु. शामला पर स्थगन दिया जाना उचीत प्रतीत नही होता है। अतः

आदेश है कि

हाजा न्यायालय के पूर्व आदेश दि. 26/03/2024 को खारीज/अस्वीकार किया जाता है। ना ही ख. स. 1398/336 गै. मु. शामला पर कोई स्थगन आदेश हाजा न्यायालय का प्रभावी नही है। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद पूर्ति मुलवाद संलग्न है।

SDO